संख्या-136/2025//001-1285-23-12-2025-1895915

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 06 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-17304/CE-HQ1/RS/AGR/2025-26, दिनांक 17-10-2025, पत्र संख्या-17340/CE-HQ1/RS/AGR/2025-26 दिनांक-17-10-2025 तथा पत्र संख्या-17341/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 दिनांक- 17-10-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु अधोलिखित तालिका में अंकित 06 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 90.92 लाख (रूपये नब्बे लाख बानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	मुख्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम /मार्ग का कोड	मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	स्वीकृत मूल लागत/ प्रावैधिक स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	बचत समायोजन के पश्चात अवशेष	क्षेत्र से प्रस्तावित मांग/ मुख्यालय द्वारा संस्तुत मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17304/CE-HQ1/RS/AGR/2025-26 Dt- 17-10-2025	प्रा.ख. आगरा	जनपद आगरा में प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत, रोड सेफ्टी के अन्तर्गत वर्ष 2021 में चिन्हित लो0नि0वि0 के मार्गों पर कुल 14 ब्लैक स्पॉट्स (छदामी मठ, अरनौटा पेट्रोल पम्प, मानिकपुरा, कछपुरा, फूटा झील, टंकी चौराहा,बाबा की तिवरिया, नयापुरा खंडेर,जीरो प्वांइट, रेलवे (...) 168625	380/2023/आई/424870/2023/23-11099(099)/274/2023- दिनांक-08-11-2023	53.39	32.64	10.19	10.15/ 10.15	**10.15**
2		प्रा.ख. आगरा	जनपद आगरा में प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत, रोड सेफ्टी के अन्तर्गत वर्ष 2022 में चिन्हित लो0नि0वि0 के मार्गों पर कुल 18 ब्लैक स्पॉट्स (बड़ागाव, अरनौटा,कलाल खेरीया, बसई फतेहाबाद रोड, ताजविव्यू तिराहा, तरगढ़ क्रासिंग,मियांपुर, फतेहपुरा तिराहा,पाठकपुरा, खिलाबली, (...) 168626		70.10	45.84	10.43	10.40/ 10.40	**10.40**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3		प्रा.ख. आगरा	रोड सेफ्टी के अन्तगत अवन्तीबाई चैराहा फतेहाबाद में जाम व दुर्घटना रोकने हेतु सुधर कार्य। 205039	33/2025/001-1310-23-12-2024-23-12099-099-114-2024-दिनांक-31-01-2025	222.44	60.78	105.35	60.00/ 60.00	**55.51**
4	17340/CE-HQ1/RS/AGR/2025-26 Dt- 17-10-2025	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में गाठौली माईनर मार्ग पर क्रैश बैरियर का कार्य। 208576	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	249.56	183.96	10.28	10.28/ 10.28	**10.28**
5	17341/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 Dt- 17-10-2025	नि.ख.-1 हरदोई	जनपद-हरदोई में बिलग्राम-साण्डी-अल्लागंज मार्ग (एस0एच0-138) के किमी0-24 में स्थित इकनौरा ब्लैक स्पॉट यू0पी0-7162 का सुधार एवं सुरक्षात्मक कार्य। 207596	40/2025/001-1352-23-12-2024-23-12002-001-8-2024-दिनांक-11-02-2025	11.71	8.19	3.51	3.51/ 3.51	**3.51**
6		नि.ख.-1 हरदोई	हरदोई साण्डी मार्ग पर स्थित ब्लैक स्पॉट बावन चुंगी (0.750-0.850) पर सड़क सुरक्षा काकार्य। 208606	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	3.71	2.49	1.07	1.07/ 1.07	**1.07**
								कुल योग	**90.92**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की समस्त शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/ 2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के कार्यालय ज्ञाप स0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

7- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

9- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

10- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

11- उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 90,92,000 (रूपये नब्बे लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव

पृ0संख्या-136/2025//001-1285(1)-23-12-2025-1895915 -तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in